



न्यायालय नाजमव मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैप जबलपुर

निगनामी प्र०४०

/ जिला-कट्टी

R 4442-I-K

माधोमिंह पिता हिबा उर्फ हीनामिंह,
निवासी ग्राम पहविया, तहसील विजयगांधवगढ़
जिला कट्टी प्र०४०

----- आवेदक

विकल्प

प्र०४० बामन द्वारा
कलेक्टर, भिवनी प्र०४०

----- अनावेदक

*Amit K. Mishra
Amit K. Mishra*
*प्र०४० बामन द्वारा
कलेक्टर, भिवनी प्र०४०*
निगनामी अंतर्गत धारा 50 प्र०४० श्र०-नाजमव आंदिता, 1959
न्यायालय कलेक्टर, जिला कट्टी के प्रक्षण क्रमांक 13/अ-21/15-16
में पासित आदेश दिनांक 27-9-2016 से व्यक्ति होकर।

- 29-12-16*
- आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -
- 1- यहकि, अधीनक्ष न्यायालय का आदेश, अनुचित एवं विधि के उपरांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
 - 2- यहकि, कलेक्टर, कट्टी के मामृत आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के ब्राह्मित एवं आधिपत्य की शृणि व्यवस्था नं. 892/1 वक्ता 1.560 ग्राम मुहाम प.ह.नं. 3/8 बा.नि.सं. विजय गांधवगढ़ तहसील विजय गांधवगढ़ जिला कट्टी में क्षिति है। आवेदक को बैंक का कर्ज पटाने तथा पुत्री की बाढ़ी आदि की पूर्ति हेतु कर्पयों की आवश्यकता है अतः उक्त शृणि को गैर आदिवासी क्रेता को विक्र्य करने की अनुमति दी जाये।
 - 3- यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक द्वारा प्रक्षुत आवेदन पर से प्रक्षण पंजीकृत कर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रक्षण तहसीलदार द्वारा जांच अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है।

*R
JK*

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4442-एक / 16

जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12 - 1 - 17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक माधोसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्य के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम मुहास प.ह.नं. 3/8 रा.नि.मं. एवं तहसील विजयराघवगढ जिला कटनी खसरा नं. 892/1 रकबा 1.560 को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्य किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्य की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत</p>	

(M)

५

R-4442-2/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों से अभिभाषकों का हस्ताक्षर
	<p>प्रतिवेदन पर विचार कर आवेदक को अनुमति प्रदान किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्य का आवेदन निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्य की अनुमति देने से इंकार किया है कि आपवेदक के पास कुल 3.130 हैक्टर भूमि शेष बचेगी जो जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा विक्य हेतु आवेदित भूमि उनके द्वारा क्य की गई है। आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास शेष बच रही 3.130 हैक्टर भूमि सिंचित है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने का प्रावधान है जबकि आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि शेष बच रही है। जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्य की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा क्य की गई है। आवेदक आदिम जनजाति का</p>	(M)


B
yam

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4442-एक / 16

जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 3.130 हैक्टर अर्थात् 5.00 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा। आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है। कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित ग्राम मुहास प0ह0न0 3/8 रा0नि0म0 विजय राघवगढ़ तहसील रा0नि0म0 एवं तहसील विजयराघवगढ़ जिला</p>	



R 4442-5/16 माधोसिंह विरुद्ध मानवाधि

पक्ष का प्रतीक
अभिभाषक
हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
	<p>कटनी खसरा नं. 892/1 रकबा 1.560 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्य किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1— यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2— केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3— उप पंजीयक द्वारा विक्यपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा।</p> <p>पक्षकार सूचित हों।</p> <p> (एमोको सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p> <p><i>M/S</i></p>